



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 366]
No. 366]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 1981/भावन 15, 1903
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 1981/SRAVANA 15, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1981

क्र. आ. 628 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के
खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत
सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1981 में और संशोधन करने
के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1 1(1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन)
(एक सौ उनचासवां संशोधन) नियम, 1981 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2 भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1981 में, द्वि-
तीय अनुसूची में,—

(1) "कृषि मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत,—

(क) "क. कृषि और सहकारिता विभाग" उप-शीर्षक
के अंतर्गत, प्रविष्टि 12, 13, 14 और 15 का लोप
किया जाए;

(ख) "ख. खाद्य विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत,
प्रविष्टि 2 का लोप किया जाए;

(2) "ऊर्जा मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "क. कोयला
विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 12 का लोप
किया जाए;

(3) "विदेश मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 8
के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए,
अर्थात्—

"8. दक्षिण अफ्रीका संघ या अन्य किसी
देश से, जिस पर व्यक्तिगत अभिनियम, 1943 (1943
का 9) लागू होता हो, भारत में आप्रवासन।";

(4) "विस्त मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत,—

(क) "ख. व्यय विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत,
प्रविष्टि 15 का लोप किया जाए;

- (क) "न. राजस्व विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 1 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए अर्थात् :—
"1क. राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान को सहायता अनुदान ।";
- (ख) "ग्रह मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत,—
(क) 2 और 8 प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :—
"2. राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति द्वारा कार्य-भार ग्रहण करने की अधिसूचना ।";
"6. राज्य सभा और लोक सभा के लिए नाम निर्देशन ।";
- (ख) "कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत, 22क प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् :—
"22क. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान ।";
- (ग) "श्रम मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 24 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् :—
"24क. उत्प्रवास अधिनियम, 1922 (1922 का 7) के अंतर्गत भारत से विदेशों को होने वाले सभी उत्प्रवास और उत्प्रवासियों की वापसी ।";
- (घ) "पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "क. पेट्रोलियम विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 6 का लोप किया जाए ;
- (ङ) "ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 13 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :—
"14. प्राकृतिक विपत्तियों के कारण फसलों के नुकसान और पशुधन की हानि से संबंधित मामले ।
15. महामारियों से भिन्न सभी प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा आवश्यक हुए राहत उपायों का समन्वय ।
16. महामारियों से भिन्न, सभी प्राकृतिक विपत्तियों के कारण मानव जीवन और सम्पत्ति की हानि से संबंधित मामले ।
17. भारतीय जन बुर्भिक्ष न्याय ।";
- (च) "नौवहन और परिवहन मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 18क का लोप किया जाए ;
- (छ) "समाज कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत,—
(क) भाग 1 के अंतर्गत, "शून्य" शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् :—
"1. दान सहायता आपूर्तियों/वस्तुओं की शून्य-मूल्य प्राप्त है भारत-संयुक्त राज्य, भारत-यूनाइटेड किंगडम, भारत-जर्मनी, भारत-स्विट्जरलैंड और भारत-स्वीडन करारों का संचालन और उनके अंतर्गत आने वाली आपूर्तियों के वितरण से संबंधित मामले ।";
- (ख) भाग 2 के अंतर्गत, मौजूदा क्रम सं. "1" की क्रम संख्या बदलकर "1क" कर दी जाए;

- (11) "निर्माण और आवास मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 12क का लोप किया जाए ;
- (12) "पर्यावरण विभाग" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाए, अर्थात् :—
"4. प्राकृतिक इतिहास एवं राष्ट्रीय संग्रहालय ।
- (13) "विज्ञान और प्रायोगिक विभाग" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :—
"7क. केन्द्रीय मड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ।
7ख. केन्द्रीय भयान अनुसंधान, पटना ।
7ग. केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान, धनबाद ।
7घ. भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून ।

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[सं. 74/3/1/81-मंत्रि.]

के. सहगल, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 1981

S.O. 628(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and forty-ninth Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule.—

(i) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA).—

(a) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)", entries 12, 13, 14 and 15 shall be omitted ;

(b) under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF FOOD (KHADYA VIBHAG)", entry 2 shall be omitted ;

(ii) under the heading "MINISTRY OF ENERGY (OORJA MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF COAL (KOYALA VIBHAG)", entry 12 shall be omitted ;

(iii) under the heading "MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (VIDESH MANTRALAYA)", for entry 8, the following entry shall be substituted, namely :—

"8. Immigration to India from the Union of South Africa or any other country to which the Reciprocity Act, 1943 (9 of 1943) may apply.;"

(iv) under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA).—

(a) under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF EXPENDITURE (VYAYA VIBHAG)", entry 15 shall be omitted ;

(b) under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF REVENUE (RAJASWA VIBHAG)", after entry 1, the following entry shall be inserted, namely :—

"1A. Grants-in-aid to the National Institute of Public Finance & Policy.;"

- (v) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)",—
- (a) for entries 2 and 6, the following entries shall respectively, be substituted, namely :—
- "2. Notification of assumption of office by the President and the Vice-President.;"
- "6. Nominations to Rajya Sabha and Lok Sabha.;"
- (b) under the sub-heading "DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS (KARMIK AUR PRASHASANIK SUDHAR VIBHAG)", after entry 22A, the following entry shall be inserted, namely :—
- "22B. Grants to the Indian Institute of Public Administration.;"
- (vi) under the heading "MINISTRY OF LABOUR (SHRAM MANTRALAYA)", after entry 24, the following entry shall be inserted, namely :—
- "24A. All emigration under the Emigration Act, 1922 (7 of 1922) from India to overseas countries and the return of emigrants.;"
- (vii) under the heading "MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (PETROLEUM, RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF PETROLEUM (PETROLEUM VIBHAG)", entry 6 shall be omitted;
- (viii) under the heading "MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION (GRAM PUNARNIRMAN MANTRALAYA)", after entry 13, the following entries shall be inserted, namely :—
- "14. Matters relating to damage to crops and loss of live-stock due to natural calamities.
15. Co-ordination of relief measures necessitated by natural calamities, other than epidemics.
16. Matters relating to loss of human life and property due to all natural calamities, other than epidemics.

17. Indian Peoples' Famine Trust.;"

- (ix) under the heading "MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (NAUWAHAN AUR PARIWAHAN MANTRALAYA)", entry 16-A shall be omitted;
- (x) under the heading "MINISTRY OF SOCIAL WELFARE (SAMAJ KALYAN MANTRALAYA)",—
- (a) under Part I, for the word "Nil", the following entry shall be substituted, namely :—
- "1. Operation of Indo-US, Indo-U.K., Indo-German Indo-Swiss and Indo-Swedish Agreements for duty-free receipt of donated relief supplies goods and matters connected with the distribution of supplies coming thereunder.;"
- (b) under Part II, the existing serial number "1" shall be renumbered as serial number "1A".
- (xi) under the heading "MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (NIRMAN AUR AWAS MANTRALAYA)" entry 12A shall be omitted;
- (xii) under the heading "DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (PARYAVARAN VIBHAG)", after entry 3, the following entry shall be added, namely :—
- "4. National Museum of Natural History.;"
- (xiii) under the heading "DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PROD-YOGIKI VIBHAG)", after entry 7 the following entries shall be inserted, namely :—
- "7A. Central Road Research Institute, New Delhi.
- 7B. Central Building Research Institute, Roorkee.
- 7C. Central Fuel Research Institute, Dhanbad.
- 7D. Indian Institute of Petroleum, Dehra Dun."

N. SANJIVA REDDY, President

[No. 74/3/181-Cab.]

K. SAIGAL, Addl. Secy.

